*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–04/जल–जीवन–15–22/2025 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– नगर निगम, बिहारशरीफ में जल–जीवन–हरियाली मिशन अन्तर्गत साठोपुर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में तत्काल राशि ₹20.00 लाख (बीस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं०–330, दिनांक–10.01.2024 द्वारा नगर निगम, बिहारशरीफ में जल–जीवन–हरियाली मिशन अन्तर्गत कुल–02 तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹105.25712 लाख (एक करोड़ पांच लाख पच्चीस हजार सात सौ बारह रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ के पत्रांक–2365, दिनांक–09.10.2025 द्वारा साठोपुर तालाब के जीर्णोद्धार कार्य हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त योजना का कार्य प्रगति पर है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर निगम, बिहारशरीफ को निम्न तालिका के स्तम्भ–03 में अंकित योजना के लिये स्तम्भ–4 में अंकित ₹59.30989 लाख (उनसठ लाख तीस हजार नौ सौ नवासी रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप स्तम्भ–06 में अंकित तत्काल राशि ₹20.00 लाख (बीस लाख रू०) वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	साठोपुर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य।	59.30989	59.23567	20.00000	39.23567
		कुल योग	**59.30989**	**59.23567**	**20.00000**	**39.23567**

अर्थात् ₹20.00 लाख (बीस लाख रू०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹20.00 लाख (बीस लाख रू०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–227, दिनांक–28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं***

*आवास विभाग द्वारा राशि निगम, बिहारशरीफ के **PL** खाता सं०– **NLDPLA006** संख्या–**00-8448-00-102-0001-00-01** में **CFMS** के माध्यम से **Inter Departmental** विधि से **Online** हस्तांतरित किया जाएगा।*

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹20.00 लाख (बीस लाख रू०) मात्र मात्र की निकासी मांग संख्या–48, नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष– 191– नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0106–जल–जीवन–हरियाली, विपत्र कोड–48-2215011910106, विषय शीर्ष– 0106. 31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

*5. **योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।***

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम–431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार **सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।** राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/जल–जीवन–15–22/2025 के पृष्ठ सं०–31/टि० पर दिनांक–09.01.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–42/टि० पर दिनांक–27.03.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/जल–जीवन–15–24/2025 535 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–28/03/26

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 04 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।